



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-21,

आफिस काम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, सेक्टर-9,

वृन्दावन योजना, लखनऊ

वेबसाइट : <https://www.upavp.com>, ई-मेल : upavp21@rediffmail.com



पत्र सं०-
सेवा में,

दिनांक

मेसर्स अहमद बिल्डर्स,
अली कालोनी, राधाग्राम, टाकुरगंज,
लखनऊ।

विषय: आम्रपाली योजना, हरदोई रोड लखनऊ के सेक्टर एच-4 में स्व वित्त पोषित योजना-2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित 16 नग 128/200 प्रकार के सेमी फिनिशड भवनों के निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सूचित करना है कि दि० 12.12.2014 को उक्त कार्य हेतु आप द्वारा डाली गयी निविदा की दरें अधीक्षण अभियन्ता प्रोजेक्ट वृत्त के पत्रांक-213/पी०सी० दिनांक 29.05.2015 द्वारा निम्नवत् स्वीकृत कर दी गई हैं। कृपया पत्र निर्गत तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत निम्नानुसार वॉचिंत प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए अनुबन्ध हस्ताक्षर हेतु कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें।

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत दर	धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	आम्रपाली योजना, हरदोई रोड लखनऊ के सेक्टर एच-4 में स्व वित्त पोषित योजना-2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित 8 नग 128/200 प्रकार के सेमी फिनिशड भवनों के निर्माण कार्य	बी०ओ०व्यू० दर से 0.95 प्रतिशत अधिक के आधार पर लागत + सर्विस टैक्स	16059272.00 (रु० एक करोड़ साठ लाख उन्सठ हजार दो सौ उन्हत्तर मात्र) + सर्विस टैक्स	10 माह

- उक्त दरों में लेवी कर इत्यादि सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित है।
 - अनुबन्ध गठित करने हेतु वॉचिंत 10 प्रतिशत जमानत धनराशि रु० 1605927.00 में धरोहर धनराशि के रूप में जमा रु० 885000.00 को समायोजित करते हुए अवशेष जमानत धनराशि रु० 920927.00 की एफ०डी०आर० जो कि अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में बन्धक हो प्रस्तुत करें।
 - फर्म के स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, फोटो व हस्ताक्षर, यदि फर्म साझेदारी में है तो पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति तथा फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति की प्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर प्रस्तुत करें जो कि कार्य स्थल पर निर्देश प्राप्त करने हेतु अधिकृत हो।
 - रु० 10.00 नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कर आश्वासन पत्र प्रस्तुत करें कि यदि भविष्य में शासन द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि की जाती है तो वह फर्म द्वारा देय होगी।
 - अनुबन्ध गठन हेतु रु० 100.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित अनुबन्ध टंकित कराकर प्रस्तुत करें।
 - सेवाकर सम्बन्धी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
 - ई-मेल आई०डी० एवं निवास प्रमाण पत्र (मोटर आई०डी० की छायाप्रति) कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- उपरोक्तानुसार औपचारिकतायें एक सप्ताह में पूर्ण कर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें अन्यथा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी जिसके लिए आपका कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

भवदीय,

(रमेश मिश्र)

अधिशासी अभियन्ता

पू०सं०:

प्रतिलिपि:-

- अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ को उनके के पत्रांक-213/पी०सी० दिनांक 29.05.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड-21 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अनुबन्ध हेतु ले-आउट पर प्रस्तावित कार्य स्थल दर्शाते हुए ले आउट की एक प्रति कैशियर को अनुबन्ध हेतु उपलब्ध कराये।
- अनुबन्ध हेतु।

Contractor

अधिशासी अभियन्ता

EE

S.E.



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-21,

आफिस काम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, सेक्टर-9,

वृन्दावन योजना, लखनऊ

वेबसाइट : <https://www.upavp.com>, ई-मेल : upavped_21@rediffmail.com



पत्र सं०-
सेवा में,

दिनांक

मेसर्स स्काई लार्क इन्टरप्राइजेज,
ई-1996, राजाजीपुरम,
लखनऊ।

विषय: आग्रपाली योजना, हरदोई रोड लखनऊ के सेक्टर एच-4 में स्व वित्त पोषित योजना-2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित 16 नग 128/200 प्रकार के सेमी फिनिशड भवनों के निर्माण कार्य की निविदा स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सूचित करना है कि दि० 12.12.2014 को उक्त कार्य हेतु आप द्वारा डाली गयी निविदा की दरे अधीक्षण अभियन्ता प्रोजेक्ट वृत्त के पत्रांक-213/पी०सी०/ दिनांक 29.05.2015 द्वारा निम्नवत् स्वीकृत कर दी गई है। कृपया पत्र निर्गत तिथि के एक सप्ताह के अन्तर्गत निम्नानुसार बौद्धित प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए अनुबन्ध हस्ताक्षर हेतु कार्यालय में उपस्थित होने का कष्ट करें।

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत दर	घनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	आग्रपाली योजना, हरदोई रोड लखनऊ के सेक्टर एच-4 में स्व वित्त पोषित योजना-2014 के अन्तर्गत प्रस्तावित 8 नग 128/200 प्रकार के सेमी फिनिशड भवनों के निर्माण कार्य	बी०ओ०क्यू० दर से 0.95 प्रतिशत अधिक के आधार पर लागत + सर्विस टैक्स	16059272.00 (रु० एक करोड़ साठ लाख उन्सठ हजार दो सौ उन्हत्तर मात्र) + सर्विस टैक्स	10 माह

- उक्त दरों में लेवी कर इत्यादि सभी प्रकार के टैक्स सम्मिलित हैं।
 - अनुबन्ध गठित करने हेतु बौद्धित 10 प्रतिशत जमानत घनराशि रु० 1605927.00 में धरोहर घनराशि के रूप में जमा रु० 685000.00 को समायोजित करते हुए अवशेष जमानत घनराशि रु० 920927.00 की एफ०डी०आर० जो कि अधोहस्ताक्षरी के पक्ष में बन्धक हो प्रस्तुत करें।
 - फर्म के स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, फोटो व हस्ताक्षर, यदि फर्म साझेदारी में हैं तो पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति तथा फर्म द्वारा अधिकृत व्यक्ति की प्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर प्रस्तुत करें जो कि कार्य स्थल पर निर्देश प्राप्त करने हेतु अधिकृत हो।
 - रु० 10.00 नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कर आश्वासन पत्र प्रस्तुत करे कि यदि भविष्य में शासन द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में वृद्धि की जाती है तो वह फर्म द्वारा देय होगी।
 - अनुबन्ध गठन हेतु रु० 100.00 के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निर्धारित अनुबन्ध टंकित कराकर प्रस्तुत करें।
 - सेवाकर सम्बन्धी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
 - ई-मेल आई०डी० एवं निवास प्रमाण पत्र (वोटर आई०डी० की छायाप्रति) कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- उपरोक्तानुसार औपचारिकतायें एक सप्ताह में पूर्ण कर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें अन्यथा धरोहर घनराशि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी जिसके लिए आपका कोई वलेम मान्य नहीं होगा।

भवदीय,

(रमेश मिश्र)

अधिशासी अभियन्ता

पत्र सं०: 703

उक्त

135

दिनांक: 17-6-2015

प्रतिलिपि:-

- अधीक्षण अभियन्ता, प्रोजेक्ट वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ को उनके के पत्रांक-213/पी०सी०/ दिनांक 29.05.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड-21 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अनुबन्ध हेतु ले-आउट पर प्रस्तावित कार्य स्थल दर्शाते हुए ले आउट की एक प्रति कैशियर को अनुबन्ध हेतु उपलब्ध कराये।
- अनुबन्ध हेतु।

अधिशासी अभियन्ता

Contractor

EE

S.E.

AE